झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 26 अग्रहायण, 1943 (शा0) को / 17 दिसम्बर, 2021 (ई0)

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या		सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.		03.	04.	05.	06.
01–	स–	02	डॉ0 इरफान अंसारी	विभागीय अनियमितता को दूर कर आँकड़े प्रस्तुत करना।	स्वा0वि0शि0 एवं परिवार कल्याण	10.12.2021
02–	स–	10	श्रीमती सीता सोरेन	निशुल्क रक्त का प्रावधन करना।	स्वा0वि0शि0 एवं परिवार कल्याण	10.12.2021
03–	स–	08	श्री सरयू राय	जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई।	स्वा0वि0शि0 एवं परिवार कल्याण	10.12.2021
04–	क–	03	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	गुणवत्तापूर्ण विद्यालय को शीघ्र चालू करना।	अनु0जा0अन0ज0 अ0 एवं पि0क0	10.12.2021
05–	स–	03	श्री अमित कुमार मंडल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति।	स्वा0वि0शि0 एवं परिवार कल्याण	10.12.2021
06–	रा–	01	डॉ0 लम्बोदर महतो	जमीन को मुक्त कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार।	10.12.2021
07–	ऊ–	02	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	ऐजेन्सी को कालीसूची में डालना एवं दोषी पर कार्रवाई।	ऊर्जा	10.12.2021
08–	स–	05	श्री अमित कुमार यादव	चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना।	स्वा0वि0शि0 एवं परिवार कल्याण	10.12.2021

01.	02.	03.	04.	05.	06
09— जा— 04	श्री किशुन कुमार दास	परियोजना को पूर्ण कर ग्रामीणों को लाभान्वित करना।	ऊर्जा		10.12.2021
10— स— 07	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	चालू वित्तीय वर्ष में रेफरल अस्पताल शुरू करना।	स्वा०चि०शि० एवं परिवार कल्याण		10.12.2021
11— स— 04	श्री विनोद कुमार सिंह	मरम्मती कर O.P.D. प्रारम्भ करना।	स्वा०चि०शि० एवं परिवार कल्याण		10.12.2021
12— जा— 03	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	ट्रांसफरगर बदलने के संबंध में।	ऊर्जा		10.12.2021
13— जा— 01	श्री कोचे मुण्डा	ग्राम में विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा		10.12.2021
14— रा— 05	श्री चमरा लिण्डा	रैयतो को जमीन वापस दिलाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार।		10.12.2021
15— क— 02	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	आवासीय विद्यालय का निर्माण।	अनु०जा०अनु०ज० अ० एवं पि०क०		10.12.2021
16— क— 01	श्री दशरथ गागराई	आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में।	अनु०जा०अनु०ज० अ० एवं पि०क०		10.12.2021
17— स— 01	श्री कमलेश कुमार सिंह	स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वा०चि०शि० एवं परिवार कल्याण		10.12.2021
18— श्रनि— 01	श्री सुदेश कुमार महतो	I.T.I भवन सोनाहातु राँची में पठन–पाठन शुरू करना।	श्रम नियोजन एवं प्र०कौ०		10.12.2021
19— रा— 03	श्री अनन्त कुमार ओझा	विस्थापितों को अन्यान्य पंचायत में पुनर्वासित करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार।		10.12.2021
20— स— 06	श्री सुदिव्य कुमार	Fanconi Anemia को मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी योजना में लाना।	स्वा०चि०शि० एवं परिवार कल्याण		10.12.2021
21— स— 09	श्रीमती पुष्पा देवी	वेतन विसंगति दूर कर दोषी पर कार्रवाई।	स्वा०चि०शि० एव परिवार कल्याण		10.12.2021
22— रा— 02	श्री कमलेश कुमार सिंह	दाखिल खारिज ऑन–लाईन करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार।		10.12.2021

(कृ० पृ० उ०)

01.	02.	03.	04.	05.	06
23– रा– 04	श्री केदार हजरा	देवरी अंचल का रजिस्टर–ii वापस करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार।		10.12.2021

रॉची,
दिनांक– 17 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0– प्रश्न–06/2020–2472/वि0स0, रांची, दिनांक–15/12/21

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/21
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

2472
ज्ञाप सं0– प्रश्न–06/2020–...../वि0स0, रांची, दिनांक–15/12/21

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/21
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

2472
ज्ञाप सं0– प्रश्न–06/2020–...../वि0स0, रांची, दिनांक–15/12/21

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/21
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

14/12/21

सुभाष/

(01)

झारखण्ड विधानसभा में डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन प्रारूप।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत जिलावार कोरोना से मृत्यु के आंकड़े क्या है ;	पूरे राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के कारण अभी तक कुल 5142 लोगों की मौत हुई है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोरोना में मृत कितने लोगों का मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है और कितने आश्रितों को अनुदान की राशि दी गई है;	कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जायेगा। कोरोना से मृत वैसे लोग जिनकी मृत्यु प्रमाण पत्र में कठिनाई हो रही है का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–802/HS दिनांक–21.10.2021 द्वारा जिला स्तर पर C-DAC (The COVID-19 Death Ascertaining Committee) बनाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। अधिसूचना में उल्लेखित कमिटी द्वारा Official document for COVID-19 death संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। कोविड–19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से रु0 50,000/– की दर से मुआवजा भुगतान किया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि कोरोना के मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने में भारी विभागीय लापरवाही बरती जा रही है जिससे लोगों में भारी और असंतोष है;	अस्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब आंकड़े प्रस्तुत करते हुए विभागीय अनियमितताओं को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा (तारांकित)–03/2021 48(08) राँची, दिनांक– 16.12.2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–2274 वि0 स0 दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.2021
(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(02)

झारखण्ड विधानसभा में श्रीमती सीता सोरेन, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–10 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के रक्तदान केन्द्रों में निःशुल्क रक्त उपलब्ध करायी जाती है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ब्लड बैंक में निःशुल्क मिलने वाली रक्त के लिए 1050 रू0 युल्क लेने के प्रावधान किया गया है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–37 (4) दिनांक–20.11.2021 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि i. सरकारी अस्पतालों के मरीजों के लिए सरकारी रक्त केन्द्रों द्वारा निःशुल्क रक्त इकाई उपलब्ध करायी जायेगी। ii. आयुष्मान योजना या किसी अन्य बीमा कम्पनी से सूचीबद्ध निजी अस्पताल/नर्सिंग होम, सरकारी रक्त केन्द्रों से NBTC/SBTC के दिशा निर्देश के अनुसार शुल्क देकर रक्त इकाई ले सकते है। iii. निजी अस्पताल/नर्सिंग होम यदि सरकारी रक्त केन्द्र से निःशुल्क रक्त लेते है, तो उन्हें अन्डरटेकिंग देनी होगी कि चिकित्साधीन मरीज आयुष्मान योजना या किसी अन्य बीमा कम्पनी में सूचीबद्ध नहीं है और अत्यंत गरीब है, अन्यथा NBTC/SBTC के दिशा निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग चार्ज देकर निजी अस्पताल रक्त इकाई ली सकती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मरीजों को मिलने वाली निःशुल्क रक्त के प्रावधान को फिर से लागू करते हुए रक्त के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0–09–01/2021 S2(4) राँची, दिनांक– 16·12·2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–2269 वि0 स0 दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.2021
(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(23)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-स-08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का लाभ मरीज को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने पर ही मिलता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 के बीच राज्य के कई असूचीबद्ध अस्पतालों, जैसे-मेडिट्रीना आदित्यपुर, ब्रह्मानंद नारायणा, तामोलिया आदि को कतिपय असूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का लाभ दिया है, जो अनियमित एवं भ्रष्ट आचरण है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् बीमारियों के इलाज हेतु सूचीबद्ध है। इस योजना अन्तर्गत फरवरी, 2020 से जुलाई 2020 के बीच असूचीबद्ध अस्पतालों को असूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का लाभ दिए जाने संबंधी सूचना सिविल सर्जन, जमशेदपुर के पत्रांक 4232 दिनांक 14.12.2021 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन के जाँचोपरांत दोषी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक-13/वि०स०-07-10/2021 209(13) स्वा०/राँची/दिनांक- 16/12/2021

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०-2268/वि०स० दिनांक-11.12.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21
सरकार के अवर सचिव।

(04)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–03 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के प्रखण्ड फतेहपुर में लगभग 02 वर्ष पूर्व एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है, परन्तु अब तक चालू नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। विद्यालय का निर्माण कार्य अगस्त, 2021 में पूर्ण हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इन विद्यालयों से आदिवासी छात्राओं को शिक्षा देने हेतु सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु उक्त विद्यालय को शीघ्र चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, फतेहपुर, जामताड़ा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2022–23 से प्रारम्भ करने के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त को प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु पत्र द्वारा निदेशित किया गया है। आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा विद्यालय के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था/शैक्षणिक संस्थान के चयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गयी है। गैर सरकारी संस्था/शैक्षणिक संस्थान के चयन के उपरान्त आगे की प्रक्रिया यथाशीघ्र निष्पादन के पश्चात अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ हो जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–07/2021–क– 3246 राँची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2257, दिनांक–11.12.2021 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(25)

श्री अमित कुमार मंडल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– 03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के बंसतराय प्रखण्ड का स्थापना के दो दशक बीत जाने के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना नहीं की गयी है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बंसतराय अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के साथ अत्यंत ही पिछड़ा घनी आबादी वाला क्षेत्र है ;		स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला मुख्यालय से बंसतराय, पथरगामा एवं महागामा सामुदायिक स्वास्थ्य की दूरी 20 K.M. होने के कारण गंभीर बीमारी की अवस्था में रोगी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;		अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बसंतराय प्रखण्ड अन्तर्गत उपयोगी स्थान महेशपुर ग्राम के पास प्राथमिकता के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?		आई0पी0ए0एस0 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना हेतु कुल 120000 आबादी अपेक्षित है, परन्तु बसंतराय प्रखण्ड की आबादी लगभग 108026 है। ऐसे में उक्त स्थान पर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना में कठिनाई है। वर्तमान में बसंतराय प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जहाँ दो चिकित्सा पदाधिकारी एवं 11 अन्य कर्मी पदस्थापित है। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, बसंतराय प्रखण्ड के अन्तर्गत महेशपुर ग्राम से लगभग 10 कि0मी0 की दूरी पर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपचक की स्थापना की गई है। जहाँ पर चार पारामेडिकल कर्मी पदस्थापित है। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0 (ता0)– 46/2021– 7645) स्वा0, राँची, दिनांक: 16-12-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2276/वि0स0, दिनांक–11.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ajay 16.12.21
अवर सचिव।

डॉ लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– रा0–01 का प्रश्नोत्तर :–

66

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	डॉ लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि चतरोचट्टी थाना (बोकारो जिला) द्वारा उक्त गांव के 20 रैयतों के 4.90 एकड़ रैयती जमीन जबरदस्ती तार की घेराबंदी कर पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर अपने कब्जे में नियमविरूद्ध तरीके से कर लिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है ?	आंशिक स्वीकारात्मक उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण तत्कालीन परिस्थितयों में चतरोचट्टी थाना परिसर की घेराबंदी ग्रामीणों की सहमति से की गयी थी। वर्तमान समय में ग्रामीणों द्वारा उक्त भूमि से घेराबंदी हटाने की मांग की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार उक्त जमीन को Land Acquisition Act, 1894 के तहत न तो अधिग्रहण किया है और न ही उन्हें मुआवजा का भुगतान किया गया है ?	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीन को थाने के कब्जे से मुक्त कराकर ग्रामीणों को वापस दिलाना चाहती है तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, बोकारो से वर्णित तथ्यों का गहन जांच कराकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0– (तारांकित)–319 / 2021 4286 / रा0, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2266 / वि0स0, दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/XII/2021

सरकार के अवर सचिव।

P:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docs.3.docx (Hema)

07

<u>डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–02 का उत्तर प्रतिवेदन</u>

प्रश्नकर्ता डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा शत-प्रतिशत गाँवों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने की उपलब्धि हासिल करने की बात कही गई है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड के डुमरी पंचायत में ग्राम- गवरवा, जशपुर, चिड़ीखुर्द, फुलापखा तथा रंगेया पंचायत के ग्राम धनकाही, सिंहटूटा, कुण्डीलपुर का चयन फेज-4 में होने के बाद भी टाटा कंपनी द्वारा विद्युतीकरण कार्य नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिला के पांकी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड के डुमरी पंचायत के जशपुर गाँव के गवरवा टोला और जशपुर गाँव एवं रंगेया पंचायत के धनरवा गाँव के सिंहटूटा टोला को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति ग्रामीण योजना के अन्तर्गत मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा विद्युतीकृत कर दिया गया है। धनकाही टोला RGGVY, 10th Plan के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया गया है। मनातु प्रखण्ड के डुमरी पंचायत अन्तर्गत चिड़ीखुर्द, फुलापखा टोलों एवं रंगेया पंचायत में कुण्डीलपुर टोलो को विद्युतीकरण करने हेतु नये योजना RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) के डी०पी०आर० में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि मनातू प्रखण्ड के उक्त सभी गाँव सुदूरवर्ती पिछड़ा एवं उग्रवाद प्रभावित इलाका होने के कारण एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा टाटा कम्पनी के कार्यों की मॉनीटरिंग नहीं किये जाने के उदासीन रवैये के कारण कार्य एजेंसी टाटा कम्पनी द्वारा उक्त गाँवों का विद्युतीकरण कार्य नहीं किये जाने से ग्रामीण जनता आज भी अंधेरे में डूबकर पिछड़ा जीवन जीने को मजबूर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा DDUGJY योजना में किये जा रहे कार्यों की मॉनीटरिंग विभागीय स्तर एवं थर्ड पार्टी (PMA) मेसर्स मेकॉन लिमिटेड के अभियंता के द्वारा की जाती है। वर्णित टोले वर्तमान मे संचालित DDUGJY योजना के सीमित वितीय स्थिति के कारण कार्य नही हो पाया।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त सभी गाँव जो आज भी विद्युतापूर्ति से वंचित हैं, उन सभी गाँवों में विद्युतीकरण कार्य कराने एवं कार्य एजेंसी टाटा कम्पनी को काली सूची में डालने तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त वर्णित छुटे हुए टोलो को नये योजना RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) के डी०पी०आर० में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
<u>ऊर्जा विभाग</u>

ज्ञापांक 2414 / दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Shitkaline 2021\Answer.docx 11

श्री अमित कुमार यादव, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०- 05 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत टाटीझरिया प्रखण्ड के झरपों में 30 बेड अस्पताल का भवन बनकर तैयार है, जिसे विभाग को सुपूर्द नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त अस्पताल भवन को सुपूर्द करते हुए वहाँ चिकित्सीय सुविधा अविलंब प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	हजारीबाग जिलान्तर्गत टाटीझरिया प्रखण्ड के झरपो में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराकर सिविल सर्जन, हजारीबाग को हस्तगत किया गया है। वर्तमान में 2 (दो) ए०एन०एम० प्रतिनियुक्ति है, जिसके माध्यम से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-5/पी०वि०स० (ता0)- 48/2021- 763(5) स्वा०, राँची, दिनांक: 16.12.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०-2273/वि०स०, दिनांक-11.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.21

अवर सचिव।

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड में वर्ष 1999 में एन०टी०पी०सी० परियोजना का शिलान्यास वृहद् रोजगार को ध्यान में रखकर किया गया था, जो अबतक परिपूर्ण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त परियोजना के पूर्ण नहीं होने से इसकी लागत बढ़ती ही जा रही है और दूसरी ओर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तथा विस्थापित भू-रैयतों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और बिजली उत्पादन नहीं होने से राज्य सरकार को इससे मिलने वाले लाभ से वंचित हो गयी है;	यह परियोजना भारत सरकार के उपक्रम NTPC द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना को पूर्ण कराने के क्रम में विस्थापन, जमीन का मुआवजा आदि का भुगतान की जिम्मेदारी NTPC की है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त परियोजना को परिपूर्ण कर सरकार एवं भू-रैयतों को लाभान्वित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार इस परियोजना सहित अन्य सभी केन्द्रीय उपक्रमों की परियोजना को पूर्ण कराने में सभी प्रकार का विधिक सहयोग उपलब्ध कराती रही है और आगे भी कराती रहेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2418/ दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

(10)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 07 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अन्तर्गत 100 बेड का रेफरल अस्पताल, पाण्ड्रा का निर्माण कार्य वर्ष 2007–08 में शुरू कराया गया था एवं 2012 में भवन का निर्माण कार्य पुरा हो चुका था ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः निरसा प्रखण्ड के पाण्ड्रा में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है। पहुँच पथ का निर्माण एवं फिनिशिंग का कार्य बाकी है।
2. क्या यह बात सही है कि निरसा जी0टी0 रोड (N.H) पर अवस्थित होने के कारण बराबर ही वाहन दुर्घटना होने व समय पर ईलाज नहीं होने के कारण जान–माल की क्षति होते रहता है ;		वर्तमान में पुर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा द्वारा वाहन दुर्घटना होने पर यथासम्भव चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त रेफरल अस्पताल को विभाग द्वारा 30 बेड के C.H.C में परिवर्तित किया जा रहा है ;		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ही पूर्व में रेफरल अस्पताल के नाम से जाना जाता था।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहेगी कि इसका औचित्य क्या है तथा C.H.C निर्माण प्रक्रिया को रद्द कर चालू वित्तीय वर्ष में रेफरल अस्पताल में ईलाज की प्रक्रिया शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ही पूर्व में रेफरल अस्पताल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्द ही इसे पूर्ण करा कर इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0 (ता0)– 50/2021– 678(5) स्वा0, राँची, दिनांक: 16·12·2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2278/वि0स0, दिनांक–11.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.21
अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– 04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंभरा–बनपुरा के भवन में पेयजल, फर्नीचर व मरम्मती की आवश्यकता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अभाव में चिकित्सक के पदस्थापन के बावजूद O.P.D प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। चिकित्सक डॉ0 सुरेश चौधरी के खंभरा–बनपुरा में योगदान करने के पश्चात् दिनांक 03.12.2021 से ओ0पी0डी0 सेवाएँ प्रारंभ कर दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त तथ्य सही हैं, तो क्या सरकार आवश्यक मरम्मती कर तत्काल O.P.D प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	भवन की मारम्मती हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गिरिडीह एवं जलापूर्ति हेतु कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, प्रमण्डल–1, गिरिडीह से अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0 (ता0)– 47/2021– 765(5) स्वा0, राँची, दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2272/वि0स0, दिनांक–11.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16-12-21

अवर सचिव।

प्र

12

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकंण्ठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिले में 50 ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का पठन-पाठन एवं किसानों को सिंचाई में असुविधा हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्क।
2. क्या यह बात सही है कि संबंधित विभाग को लिखित शिकायत करने पर भी जले हुए ट्रांसफार्मर को महीनों तक नहीं बदला जा रहा है;	अस्वीकारात्मक है। खूँटी जिले में जले ट्रांसफार्मरों को विभाग द्वारा बदला जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?	सभी जले ट्रांसफमरों को 31 दिसम्बर 2021 तक बदलने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2408 / दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री कोचे मुंण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा प्रखण्ड के ग्राम डुमकुबुरू में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। डुमकुबुरू तोरपा प्रखण्ड के रोन्हे ग्राम (Revenue Village) का एक टोला है। रोन्हो गाँव का विद्युतीकरण किया जा चुका है। टोला डुमकुबुरू का विद्युतीकरण किया जाना है।
2. क्या यह बात सही है कि यदि अभी तक विद्युतीकरण का कार्य किया गया होता तो स्थानीय ग्रामीणों जो गरीब आदिवासी हैं उनको इनका लाभ मिलता एवं उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सकता था;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस ग्राम में विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों?	ADP योजना के तहत इस टोले को विद्युतीकरण करने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2415 /

दिनांक 16-12-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021

(अजेय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

(14)

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– रा0–05 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि बिहार भूमि सुधार के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निर्धारित तथा अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम, 1961 यथा संशोधन 1982 के अन्तर्गत विभिन्न जिला में गरीब परिवार को पालन पोसन के लिए भुदान के रूप में सरकार द्वारा जमीन बंदोबस्त किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बंदोबस्ती भूदान कागजात में यह दर्ज है कि यह भूमि विरासत योग्य होगी किसी भी स्थिति में हस्तांतरित नहीं होगा ;	स्वीकारात्मक।
3	(प्रश्न तालिका नीचे)	राँची समाहरणालय, राँची का पत्रांक–551, दिनांक–16.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मेसरा, थाना संख्या–169, खाता संख्या–140, खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। प्लॉट संख्या–1156, रकबा–6.58 एकड़ भूमि परती कदीम है।

प्रश्न 3:

क्र0	मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	भूदान बंदोबस्त रैयत
1	मेसरा	140	1156/1	58 डी0	देवाराम गोडाईत, पिता देवनाथ गोडाईत, ग्राम–मेसरा, टुकू टोली।
2	मेसरा	140	1156/2	1 एकड़	गाजू मुण्डा पिता – झारी मुण्डा, ग्राम –मेसरा टुकू टोली।
3	मेसरा	140	1156/3	1 एकड़	तीरथ गोडाईत, पिता–मजू गोडाईत, ग्राम–मेसरा टुकू टोली।
4	मेसरा	140	1156/4	1 एकड़	पकलू गोडाईत, पिता–पहलवान गोडाईत, ग्राम–मेसरा टुकू टोली।

उत्तर 3 (तालिका):

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	भूदान बंदोबस्त रैयत	[illegible]
140	1156/1	58	देवाराम गोडाईत, पिता देवनाथ गोडाईत, ग्राम–मेसरा, टुकू टोली।	VII/134, वर्ष 2019–2020 तक ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है। अधिकार कौलम में दान सं0–1 भूदान सं0 /83–84 दर्ज है।
140	1156/1	1 ए0	गाजू मुण्डा पिता – झारी मुण्डा, ग्राम –मेसरा टुकू टोली।	VII/95, वर्ष 2021–2022 तक ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है। अधिकार कौलम का "बंदोबस्त दान सं0–1985 एवं अंचल अधिकारी के आदेशानुसार जमाबंदी कायम की गई" दर्ज है।
140	1156/3	1 ए0	तीरथ गोडाईत, पिता–मजू गोडाईत, ग्राम–मेसरा टुकू टोली।	ऑनलाईन जमाबंदी कायम नहीं है।
140	1156/4	1 ए0	पकलू गोडाईत, पिता–पहलवान गोडाईत, ग्राम–मेसरा टुकू टोली।	VIII/286, अधिकार कौलम में "दान सं0–1 भूदान सं0/मेसरा/83–84" दर्ज है।

4	यदि उपर्युक्त भूदान की जमीन को राजेन्द्र प्रसाद बुधिया, देवेन्द्र कुमार बुधिया एवं हेमेन्द्र कुमार बुधिया तीनों का पिता–आत्माराम बुधिया जमीदार ने कब्जा कर लिए हैं अगर भूदान की जमीन हस्तांतरणीय नहीं है तो क्या रैयत को उपरोक्त जमीन वापस दिलाएंगे नहीं तो क्यो ?	ग्राम पंचायत–मेसरा पश्चिम के मुखिया श्री गंगा करमाली द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में परती है एवं पेड़ पौधा है। उपायुक्त, राँची से वर्णित तथ्यों का गहन जांच कराकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0– (तारांकित)–321/2021 4288/रा0, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2267/वि0स0, दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 10 (दस) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/XII/2021

सरकार के अवर सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(15)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–02 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि निरसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड निरसा, एगारकुण्ड केलियासोल एवं चिरकुण्डा नगर परिषद् क्षेत्र में लगभग 80 हजार अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं;	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 71000 है।
2	क्या यह बात सही है, कि निरसा विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अब तक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया है;	प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में 320 विद्यालय एवं 01 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021–22 में वर्ग 1 से 10 तक में अनुसूचित जाति के 6850 छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत हैं। इसके अतिरिक्त धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड में विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक उच्च विद्यालय (कक्षा–1 से 10) संचालित है, जहाँ धनबाद जिला के किसी भी प्रखण्ड/क्षेत्र के छात्र नियमानुसार रिक्ति के विरूद्ध नामांकन कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
3	क्या यह बात सही है, कि अनुसूचित जाति के पिछड़े/गरीब वर्ग के छात्र/छात्राएँ आवासीय विद्यालय नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं तथा इनका विकास नहीं हो पाता है;	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निरसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 100/100 शय्या का छात्र तथा छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–08/2021–क– 3251 राँची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2258, दिनांक–11.12.2021 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(16)

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पुछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क–01 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पिछड़े वर्ग (Backward Classes) के छात्रों के लिए प्रमण्डल स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष के बजट में किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल में इस विद्यालय के खोलने हेतु अब तक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक। पिछड़े वर्ग (Backward Classes) के छात्रों के लिए कोल्हान प्रमण्डल के सरायकेला–खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत नुआगढ़ में आवासीय विद्यालय खोलने हेतु भूमि चिन्हित करते हुए विभागीय पत्रांक–2686, दिनांक–02.11.2021 के द्वारा प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लिमिटेड से विद्यालय के निर्माण हेतु DPR तैयार कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। DPR प्राप्त होते ही आगे की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोल्हान प्रमण्डल में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–06/2021–क– 3247 राँची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2259, दिनांक–11.12.2021 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21
(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(17)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहम्मदगंज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरा का भवन बनकर तैयार हो गया है ;	अस्वीकारात्मक । 1. मोहम्मदगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य वर्तमान में पूर्ण किया गया है। 2. पिपरा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित दोनो स्वास्थ्य भवन स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपे जाने के कारण वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ संचालित नहीं है ;	अस्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोनों प्रखण्ड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहम्मदगंज एवं पिपरा के नवनिर्मित भवन में आमजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. मोहम्मदगंज में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तगत लेते हुए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में वहाँ पर पूर्व से स्थापित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। 2. पिपरा में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0 (ता0)– 45/2021– 767(5) स्वा0, राँची, दिनांक: 16·12·2021
प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2271/वि0स0, दिनांक–11.12.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.21
अवर सचिव।

18

1506
16/12/2021

श्री सुदेश कुमार महतो माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि–01 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदेश कुमार महतो माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि जिला–राँची, प्रखण्ड–सोनाहातु के जाडेया में कई वर्षों से आई0टी0आई0 भवन बन कर तैयार है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन में पठन–पाठन का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आई0टी0आई0 भवन, सोनाहातु, राँची में पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ करने की इच्छा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राँची जिलान्तर्गत प्रखण्ड सोनाहातु के जाडेया को संचालन हेतु Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS) द्वारा Empanelled Training Service Provider के अन्तर्गत आवंटित किया जाना है। आवंटन के पश्चात् TSP के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

16/12/2021

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–18 / 2021श्र0नि0–1506 राँची, दिनांक– 16/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2264, दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–03 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा भौगोलिक रूप से गंगा के तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ गंगा का अविरल प्रवाह और 83.15 कि0मी0 Erosion Prone Area में अवस्थित है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पूर्व के दिनों में साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत स्थित कारगिल दियारा, रामपुर दियारा, गोपालपुर दियारा, राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र सहित राजमहल प्रखण्ड के पंचायत गदाई दियारा, घाटजमनी, मोकिमपुर, सैदपुर और पूर्वी नारायणपुर दियारा के कॉलोनी नं.–01 से 04 तक तथा उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत पूर्वी प्राणपुर के जीतनगर, उत्तर पलाशगाछी पंचायत के खट्टी टोला तथा श्रीधर पंचायत के कॉलोनी सं0–10 सहित अन्य पंचायत क्षेत्रों में गंगा कटाव से सैकड़ों परिवार बेघर और विस्थापित हो चुके हैं;		आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल साहेबगंज, राजमहल व उधवा के अन्तर्गत प्रश्नगत पंचायत व ग्रामों में कटाव गंगा नदी की धारा के परिवर्तन कारण हो रहा है। कटाव के कारण उधवा अंचलान्तर्गत पूर्वी प्राणपुर पंचायत के 8 गाँवों/टोलों के 386 परिवार तथा उत्तर पलासगाछी पंचायत के दो टोलों के 15 परिवार कटाव से प्रभावित हुए हैं। राजमहल अंचल अन्तर्गत कटाव से प्रभावित परिवारों की पहचान की जा रही है। साहेबगंज सदर अन्तर्गत प्रश्नगत गाँव में कटाव परिलक्षित है, किन्तु किसी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में भी खण्ड (2) में वर्णित क्षेत्रों में गंगा कटाव जारी है, जिससे आज भी वहाँ के स्थानीय लोग प्रभावित हैं, जिन्हें आज दिनांक तक अन्य पंचायतों में पुर्नवासित नहीं किया जा सका है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित क्षेत्रों में गंगा कटाव से प्रभावित/विस्थापितों को अविलम्ब अन्यान्य पंचायतों में पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कटाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जिला स्तर से की गयी कार्रवाई की सूचना की माँग उपायुक्त, साहेबगंज से की गयी है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5 / स.भू.वि.स.(तारांकित)–184 / 2021-4291 (5) / रा., राँची, दिनांक-16-12-2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–2265 / वि.स., दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० विभागीय (मुख्य) / प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21

सरकार के अवर सचिव।

20

श्री सुदिव्य कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-17.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-स-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में हृदय रोग एवं Fanconi Anemia बीमारी शामिल नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में भी वर्णित बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हृदय एवं Fanconi Anemia बीमारी से ग्रसित लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु वर्णित बीमारी को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अन्तर्गत लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य में हृदय रोग आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल है। विभागीय संकल्प संख्या-39(13) दिनांक 14.02.2020 के द्वारा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध बीमारियों को छोड़कर असाध्य रोगों यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक के पीड़ितों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। Fanconi Anaemia बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या में वृद्धि से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर इसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में शामिल करने पर विचार किया जावेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-13/वि0स0-07-11/2021 210 (13) स्वा0/राँची/दिनांक:- 16/12/2021

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2270/वि0स0 दिनांक-11.12.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/21
सरकार के अवर सचिव।

21

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–स0–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

1. क्या यह बात सही है कि District VBD Consultant एवं District Programme Coordinator (यक्ष्मा) का पद एवं दायित्व समान रहने के बावजूद इनकी मानदेय मे काफी भिन्नता है;	आंशिक स्वीकारात्मक District VBD Consultant एवं District Programme Coordinator (यक्ष्मा) का पद जिला स्तरीय है, किन्तु नियुक्ति हेतु दोनों के अनिवार्य योग्यता एवं कार्य दायित्व भिन्न है।
2. क्या यह बात सही कि NHM झारखण्ड के तहत् कार्यरत यक्ष्मा अनुबंध कर्मियों District VBD Consultant एवं District Programme Coordinator (यक्ष्मा) के मानदेय विसंगति को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कमिटि का गठन किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । NHM झारखण्ड अन्तर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मियों के मानदेय विसंगति दूर करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो मानदेय विसंगति से संबंधित कर्मियों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करेगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार NHM झारखण्ड के तहत् वर्णित पदो के अनुबंध कर्मियों के मानदेय की विसंगति दूर करने हेतु एक उच्च स्तरीय जाँच कमिटि का गठन कर वेतन विसंगति दूर करने का विचार एवं NHM (HR Cell) वेतन विसंगति में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/कर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	दोनों पदों का मानदेय भिन्न है, क्योंकि दोनों पदो के कार्य की प्रकृति एवं दायित्व भिन्न–भिन्न है। NHM झारखण्ड अन्तर्गत पदों के मानदेय संबंधित निर्णय भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही लिया जाता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–27/2021–126 (21) राँची, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2275 वि0स0, दिनांक 11.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के अपर सचिव।

jully kumari

22

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के सभी अंचल कार्यालयों में भूमि मापी संबंधी ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया 01 जनवरी, 2017 से प्रारंभ कर दी गई है, परंतु हुसैनाबाद अंचल कार्यालय में 30 नवम्बर, 2021 तक भूमि मापी संबंधी ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ नहीं हो सका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। तकनीकी समस्या के कारण भूमि सीमांकन के आवेदनों का निष्पादन नहीं हो रहा था, जिसका निराकरण किया जा चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद अंचल कार्यालय में भूमि मापी संबंधी मामलों का निष्पादन नहीं होने के कारण दो पक्षों के बीच आपसी विवादों का मामला गहराता जा रहा है, फलस्वरूप हिंसा के कई मामले प्रतिवेदित होते रहते है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद अंचल कार्यालय में आपसी बदलैन संबंधी केवाला का दाखिल–खारिज संबंधी ऑनलाईन आवेदन नहीं हो पा रहा है, फलस्वरूप इस तरह के कई दाखिल–खारिज के मामले लंबित पड़े हुए है;	आंशिक स्वीकारात्मक। आपसी सहमति का दस्तावेज एवं प्रतिशपथ पत्र के साथ किये गये दाखिल खारिज आवेदन का निष्पादन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल कार्यालय में भूमि मापी तथा आपसी बदलैन जमीन की दाखिल–खारिज करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01/निदे०अभि० वि०स० (तारा०) –62/2021 692/रा०, राँची, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–2279/वि0स0, दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021
सरकार के उप सचिव।

(23)

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–04 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड के स्थानीय लोगों का रजिस्टर–II गिरिडीह मुख्यालय में है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि देवरी अंचल के ग्राम पंचायत यदुरायडीह तथा दलोरायडीह के एक भी गाँव को ऑनलाईन नहीं होने से स्थानीय लोगों को दाखिल–खारिज एवं लगान रसीद कटवाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवरी अंचल मुख्यालय का रजिस्टर–II पंजी को वापस करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	देवरी अंचल मुख्यालय का रजिस्टर–II वापस करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:–01/निदे०अभि० वि०स० (तारां०) –61/2021–693/रा०, राँची, दिनांक– 16-12-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं०–2277/वि०स०, दिनांक–11.12.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2021

सरकार के उप सचिव।